कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

–:कार्यालय–आदेश:–

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमांकः–शिविरा–माध्य /संस्था/सी–2/इति–वाणि/नियुक्ति/इतिहास/पीएससी–2018/2021 दिनांकः–29.09.2021 के तहत रमेश कुमार मीना व्या0 इतिहास राउमावि, चैलासी,नवलगढ–झुंझुंनू का स्थानान्तरण राउमावि, मदासर–जैसलमेर किया गया। रमेश कुमार मीना ने माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4912/2021 रमेश कुमार मीना बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की।

माननीय अपील अधिकरण के आदेश दिनांक 29.10.21 द्वारा अपीलार्थी को रिक्त पद दर्शित करते हुए प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और प्रत्यर्थी विभाग अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विभागीय दिशा–निर्देशों/परिपत्रों /नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित करने के निर्देश दिये है।

माननीय अपील अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी रमेश कुमार मीना ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के माता–पिता का वृद्ध एवं बिमार होना, पदस्थापन स्थान का 500 कि.मी दूर होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि मानपुरा माचेडी–जयपुर, राउमावि बाघावास–जयुपर, राउमावि कंचनपुरा, श्रीमाधोपुर–सीकर और श्रीमंडी कमेटी राउमावि डुण्डलोद मंडी–झुंझुंनू में किए जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि लोकसेवकों द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत यथावत/वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाये जाने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित तथा पालना सुनिश्चित करें।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–2/अपील संख्या 4912/रमेश कुमार/को.के/20–21 दिनांकः–22/01/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि)
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned with CamScanner